रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235553
CG-DL-E-05052022-235553

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944
No. 319]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

सा.का.नि. 334(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों और फिटिंग्स में लेड स्टेबिलाइजर नियम, 2021 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों और फिटिंग्स में लेड स्टेबिलाइजर (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से छः माह में प्रवृत्त होंगे।

2. पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों और फिटिंग्स में लेड स्टेबिलाइजर नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2 में, —

(क) उप नियम (1) में, "स्तंभ (3) में उपबंधित" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "स्तंभ (4) में उपबंधित" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, —

'(i) नियम 4 के उप नियम (1) के अनुसार, विनिर्माता द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंध के अधीन संबंधित

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रदान की गई प्रचालन की सहमति के अनुसार, परीक्षण के लिए प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा किए गए पाइपों और फिटिंग्स के जल परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु, ऐसे सभी पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइपों और फिटिंग्स का विनिर्माण करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो से बैध लाइसेंस प्राप्त करने वाले तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस में दिए गए विनिर्देश के अनुसार "मानक निशान" से चिह्नित ऐसे सभी पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइपों और फिटिंग्स को रखने वाले विनिर्माता को ऐसी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी।

(ii) अनुसूची में विनिर्दिष्ट संबंधित श्रेणी क, ख और ग के अधीन प्रत्येक उत्पाद के लिए पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइपों और फिटिंग्स का प्रत्येक विनिर्माता और प्रत्येक आयातक भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस कोड या उसके समतुल्य, जो वर्तमान में उपलब्ध हैं या भविष्य में विकसित किए जाएंगे, के संबंध में उस अनुसूची में उल्लिखित शर्त का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस नियम और नियम 3 के प्रयोजन के लिए, "विनिर्माता" का अर्थ भारत के भू-क्षेत्र के भीतर या भारत के भू-क्षेत्र के बाहर स्थित पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइपों और फिटिंग्स का विनिर्माता है'।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, उप नियम (3) में, "एक पैनल" शब्दों के स्थान पर "विनिर्माता के प्रतिनिधि सहित एक पैनल" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम (I) रखा जाएगा, अर्थात्:—

(I) "राष्ट्रीय परीक्षण और समांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाएं ऐसे परीक्षणों को संचालित करने हेतु प्राधिकृत होंगी जो नियम 2 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं"।

5. उक्त नियमों में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची

(नियम 2 और 5 देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पीवीसी पाइपों और फिटिंग्स एवं संगत भारतीय मानकों की सूची

क्रम संख्या	**मद**	**भारतीय मानक संख्या और शीर्षक**	**अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख को सीसा निष्कर्षण सीमाएं**	**निषेध लागू करने की तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
श्रेणी क : पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए पीवीसी पाइपों और फिटिंग्स का उपयोग				
क. 1.	पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए प्लास्टिक रहित पीवीसी पाइप	आईएस 4985 : 2021 का टाइप क पानी की आपूर्ति के लिए प्लास्टिक-रहित पीवीसी पाइप-विनिर्देश *(चौथा संशोधन)*	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद
क. 2.	बोर/नलकूपों के लिए प्लास्टिक-रहित पॉली-विनाइल क्लोराइड (पीवीसी-यू) स्क्रीन और केसिंग पाइप	आईएस 12818 : 2010 बोर/नलकूपों के लिए प्लास्टिक-रहित पॉली-विनाइल क्लोराइड (पीवीसी-यू) स्क्रीन और केसिंग पाइप-विनिर्देश *(दूसरा संशोधन)*	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क. 3.	पीने योग्य गर्म और ठंडे पानी के वितरण की आपूर्ति के लिए क्लोरीन	आईएस 15778 : 2007 पीने योग्य गर्म और ठंडे पानी के वितरण की आपूर्ति के लिए	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम	-यथोक्त-

	युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइप	क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइप-विनिर्देश	(तीसरा निष्कर्षण)	
क. 4.	पानी की आपूर्ति के लिए उन्मुख प्लास्टिक रहित पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी-ओ) पाइप	आईएस 16647 : 2017 पानी की आपूर्ति के लिए उन्मुख प्लास्टिक रहित पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी-ओ) पाइप– विनिर्देश	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क. 5.	पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए फैब्रिकेटेड पीवीसी-यू-फिटिंग्स	आईएस 10124 (भाग 1 से 13) : 2009 पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए फैब्रिकेटेड पीवीसी-यू-फिटिंग्स विनिर्देश *(दूसरा संशोधन)*	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क. 6.	जल आपूर्ति के लिए सॉलवेंट सीमेंट जोड़ों सहित इंजेक्शन मोल्डेड पीवीसी सॉकेट फिटिंग्स	आईएस 7834 (भाग 1 से 8) : 1987 जल आपूर्ति के लिए सॉलवेंट सीमेंट जोड़ों सहित इंजेक्शन मोल्डेड पीवीसी सॉकेट फिटिंग्स हेतु विनिर्देश *(पहला संशोधन)*	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क. 7.	पीने योग्य गर्म और ठंडे पानी के वितरण की आपूर्ति के लिए क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) फिटिंग्स	आईएस 17546 : 2021 पीने योग्य गर्म और ठंडे पानी के वितरण की आपूर्ति के लिए क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) फिटिंग्स - विनिर्देश	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-
श्रेणी ख : कृषि में तथा कृषि संबंधी पंपों की सक्शन एवं डिलिवरी लाइनों और वर्षा जल प्रणालियों में पीवीसी पाइपों एवं फिटिंग्स का प्रयोग				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
ख. 1.	कृषि के लिए प्लास्टिक रहित पीवीसी पाइप	आईएस 4985 : 2021 का टाइप ख पानी की आपूर्ति के लिए प्लास्टिक-रहित पीवीसी पाइप-विनिर्देश *(चौथा संशोधन)*	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष बाद
ख. 2.	कृषि पंप सेटों की सक्शन और वितरण लाइनों में उपयोग के लिए प्लास्टिक रहित पीवीसी पाइप	आईएस 12231 : 1987 कृषि पंप सेटों की सक्शन और वितरण लाइनों में उपयोग के लिए प्लास्टिक रहित पीवीसी पाइप –के लिए विनिर्देश	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख. 3.	कृषि पंपों की सक्शन एवं वितरण लाइनों की यूपीवीसी पाइपों के साथ उपयोग किए जाने वाले यूपीवीसी पाइप फिटिंग्स	आईएस 13593 : 1992 कृषि पंपों की सक्शन एवं वितरण लाइनों की यूपीवीसी पाइपों के साथ उपयोग किए जाने वाले यूपीवीसी पाइप फिटिंग्स के लिए विनिर्देश	1 पीपीएम (पहला निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तीसरा निष्कर्षण)	-यथोक्त-

ख. 4.	कृषि पंप के चूषण और वितरण लाइनों के लिए लचीले पीवीसी पाइप पोलीमर सुदृढ़ थर्मो प्लास्टिक हौज	आईएस 15265 : 2003 कृषि पंप के चूषण और वितरण लाइनों के लिए लचीले पीवीसी पाइप पोलीमर सुदृढ़ थर्मो प्लास्टिक हौज - विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख. 5.	भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मृदा और निस्सारण प्रणाली हेतु अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) पाइप	आईएस 13592 : 2013 भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मृदा और निस्सारण प्रणाली हेतु अप्लास्टीकृत क्लोरीनेटिड पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) पाइप - विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख. 6.	भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मृदा और अपशिष्ट निस्सारण प्रणाली हेतु सांचे में ढले हुए फिटिंग के लिए अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) इन्जेक्शन	आईएस 14735 : 1999 भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मृदा और अपशिष्ट निस्सारण प्रणाली हेतु सांचे में ढले हुए फिटिंग के लिए अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) इन्जेक्शन - विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
प्रवर्ग ग : जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के लिए पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग. 1.	जल निकासी के लिए एकल वाल नलीदार पाइप अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड यूपीवीसी पाइप	आईएस 9271 : 2004 जल निकासी के लिए एकल वाल नलीदार पाइप अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड यूपीवीसी पाइप - विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष के पश्चात्
ग. 2.	भूमिगत जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में उपयोग के लिए अप्लास्टीकृत गैर-दबाव वाली पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) पाइप	आईएस 15328 : 2003 भूमिगत जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में उपयोग के लिए अप्लास्टीकृत गैर–दबाव वाली पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) पाइप - विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ग. 3.	संरचनाबद्ध – गैर-दबाव वाली जल निकासी और सीवरेज के लिए वाल प्लास्टिक पाइप प्रणाली	आईएस 16098 (भाग 1) : 2013 संरचनाबद्ध – गैर-दबाव वाली जल निकासी और सीवरेज के लिए वाल प्लास्टिक पाइप प्रणाली – विनिर्देश : भाग 1 पाइप और	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-

		फिटिंग के साथ चिकनी बाह्य सतह, प्रकार क		

[1] भारतीय मानकों का अद्यतन संस्करण, जिसमें इसके जारी किए गए संशोधन भी हैं, जो समय-समय पर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित किए गए हैं, ब्यूरो द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

[फा.सं. क्यू-18011/77/2015-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 228 (अ), तारीख 30 मार्च, 2021 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2022

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Lead Stabilizer in Polyvinyl Chloride (PVC) Pipes and Fittings Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Lead Stabilizer in Polyvinyl Chloride (PVC) Pipes and Fittings (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force six months from the date of notification in the Official Gazette.

2. In the Lead Stabilizer in Polyvinyl Chloride (PVC) Pipes and Fittings Rules 2021 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(a) in sub-rule(1), for the words, brackets and figure "provided in column (3)", the words, brackets and figure "provided in column (4)", shall be substituted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, -

'(i) The manufacturer shall submit water test report of pipes and fittings carried out by authorised agencies for testing as per sub-rule (1) of rule 4, to respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in accordance with the consent to operate granted by respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee subject to the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974):

Provided that the manufacturer having valid licence from Bureau of Indian Standards for manufacturing of all such Polyvinyl Chloride Pipes and Fittings, and having all such Polyvinyl Chloride Pipes and Fittings marked with "Standard Mark" in accordance with the specification provided in the Licencse issued by the Bureau of Indian Standards, shall be exempted from submission of such test report.

(ii) Every manufacturer and every importer of Polyvinyl Chloride Pipes and Fittings for every product under the respective Category A, B, and C specified in the Schedule shall comply with the conditions mentioned in that Schedule with respect to IS code of Bureau of Indian Standard or equivalent which are presently available or shall be developed in the future.

Explanation.- For the purposes of this rule and rule 3, "manufacturer" means manufacturer of Polyvinyl Chloride Pipes and Fittings situated within the territory of India or outside the territory of India'.

3. In rule 3 of the said rules, in sub- rule (3), for the words "A Panel", the words "A Panel including a representative from manufacturer", shall be substituted.

4. In rule 4 of the said rules, for sub- rule (1), the following sub-rule (I) shall be substituted namely:-

(I) "The Laboratories accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories shall be authorised to carry out such tests as are necessary to ascertain the compliance of rule 2".

5. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

(See rules 2 and 5)

LIST OF PVC PIPES AND FITTINGS AND CORRESPONDING INDIAN STANDARDS PUBLISHED BY THE BIS

Sl. No.	Item	Indian Standard No. and Title[i]	Lead extraction limits as on date of notification	Date of application of prohibition
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
CATEGORY A:Use of PVC Pipes and Fittings for Potable Water Supply				
A. 1.	Unplasticised PVC pipes for Potable water supplies	Type A of IS 4985:2021 Unplasticised PVC pipes for water supplies - Specification (*fourth revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	After one year from the date of publication of these rules
A. 2.	Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) screen and casing pipes for bore/tubewells	IS 12818:2010 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) screen and casing pipes for bore/tubewells - Specification (*second revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 3.	Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) pipes for potable hot and cold water distribution supplies	IS 15778:2007 Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) pipes for potable hot and cold water distribution supplies – Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 4.	Oriented unplasticized polyvinyl chloride (PVC-O) pipes for water supply	IS 16647:2017 Oriented unplasticized polyvinyl chloride (PVC-O) pipes for water supply - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 5.	Fabricated PVC-U fittings for potable water supplies	IS 10124 (Parts 1 to 13):2009 Fabricated PVC-U fittings for potable water supplies Specification (*second revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 6.	Injection moulded PVC socket fittings with solvent cement joints for water supplies	IS 7834(Parts 1 to 8):1987 Specification for injection moulded PVC socket fittings with solvent cement joints for water supplies (*first revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A.7.	Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) fitting for potable hot and cold water distribution supplies	IS 17546:2021 Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) fitting for potable hot and cold water distribution supplies – specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-

CATEGORY B: Use of PVC Pipes and Fittings in Agriculture and in Suction and Delivery Lines of Agricultural Pumps and Rain Water Systems				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
B. 1.	Unplasticized PVC pipes for agriculture	Type B of IS 4985:2021 Unplasticized PVC pipes for water supplies - Specification (*fourth revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	After three years from the date of publication of these rules
B. 2.	Unplasticized PVC pipes for use in suction and delivery lines of agricultural pump sets	IS 12231:1987 Specification for unplasticized PVC pipes for use in suction and delivery lines of agricultural pump sets	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 3.	UPVC pipe fittings to be used with the UPVC pipes in the suction and delivery lines of agricultural pumps	IS 13593:1992 Specification for UPVC pipe fittings to be used with the UPVC pipes in the suction and delivery lines of agricultural pumps	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 4.	Flexible PVC pipes polymer reinforced thermoplastic hoses for suction and delivery lines of agricultural pumps	IS 15265:2003 Flexible PVC pipes polymer reinforced thermoplastic hoses for suction and delivery lines of agricultural pumps - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 5.	Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for soil and discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system	IS 13592:2013 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for soil and discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system – Specification (*first revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 6.	Unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) injection moulded fittings for soil and waste discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system	IS 14735:1999 Unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) injection moulded fittings for soil and waste discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
CATEGORY C: Use of PVC Pipes and Fittings for Drainage and Sewarage System				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
C. 1.	Unplasticized polyvinyl chloride UPVC single wall corrugated pipes for drainage	IS 9271:2004 Unplasticized polyvinyl chloride UPVC single wall corrugated pipes for drainage - Specification (*first revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	After four years from the date of publication of these rules
C. 2.	Unplasticized non-pressure polyvinyl chloride (PVC-U)	IS 15328:2003 Unplasticized non-pressure polyvinyl chloride (PVC-U)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third	-Do-

	pipes for use in underground drainage and sewerage system	pipes for use in underground drainage and sewerage system - Specification	extraction)	
C. 3.	Structured - wall plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage	IS 16098(Part 1):2013 Structured - wall plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage – Specification: Part 1 Pipes and fittings with smooth external surface, Type A	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-

[i] The latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

[F. No Q-18011/77/2015 – CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 228 (E) , dated the 30th March 2021 .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.05 15:46:35 +05'30'